

अध्याय

11

भारत छोड़ो आन्दोलन

[THE QUIT INDIA MOVEMENT]

ब्रिटिश संसद ने भारत में संवैधानिक सुधारों की शृंखला में सन् 1935 ई. का 'भारतीय शासन अधिनियम' पासित किया। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केन्द्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। कांग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर होने वाले चुनावों में भाग लिया जाए अथवा नहीं। अन्त में, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। सन् 1937 ई. के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक रहे और सन् 1937 ई. में ही 11 में से 8 प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गए जिन्होंने अनेक जनहितकारी कार्य किए। लेकिन मन्त्रिमण्डल के प्रमुख को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए जो तीव्रतर होते गए।

द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रारम्भ और वायसराय द्वारा भारत की ओर से युद्ध की घोषणा—1 सितम्बर, 1939 ई. को द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसी दिन जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया था। ग्रेट-ब्रिटेन युद्ध से अलग नहीं रहा सकता था। अतः लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा के नाम पर इंग्लैण्ड ने 3 सितम्बर, 1939 ई. को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दिन गवर्नर जनरल ने भारतीय जनता की सहमति के बिना भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय नेताओं ने वायसराय के इस अशोभनीय और अपमानजनक कार्य की कटु निन्दा करते हुए इसका घोर विरोध किया।

जिस अलोकतन्त्रीय ढंग से भारत को युद्ध में झोंक दिया गया था, उसका विरोध करते हुए 14 सितम्बर, 1939 ई. को कांग्रेस समिति की एक बैठक आयोजित की गई। समिति ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा कि, "जब तक भारत को स्वतन्त्रता का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक कांग्रेस भारतीय जनता को देश की सरकार को पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती।" उदारवादियों ने भी कांग्रेस की उक्त माँग का समर्थन किया और केन्द्र में तुरन्त उत्तरदायी शासन की स्थापना की भी माँग की। मुस्लिम लीग भी बिना शर्त ब्रिटेन को सहयोग देने को तैयार नहीं थी। यद्यपि वह स्वतन्त्रता नहीं चाहती थी, वरन् विशेष रियायतें चाहती थी।

वायसराय की घोषणा और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का त्याग-पत्र—वायसराय ने न तो युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों को स्पष्ट किया और न ही भारतीयों को स्वतन्त्रता का कोई आश्वासन दिया। ब्रिटिश सरकार ने मात्र यही कहा कि ब्रिटेन का वर्तमान उद्देश्य केवल युद्ध जीतना है। इसलिए उन्होंने भारत के 52 प्रतिनिधियों से जिनमें गांधी जी, पण्डित नेहरू, मि. जिन्ना आदि शामिल थे, भेंट की। तांत्यश्चात् 17 अक्टूबर, 1939 ई. को एक वक्तव्य दिया जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं—

- (1) कांग्रेस की यह माँग अव्यावहारिक है कि भारतीयों को तुरन्त सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाए।
- (2) समस्त संवैधानिक योजना पर युद्ध के बाद ही विचार किया जा सकेगा।
- (3) वायसराय भारतीयों से मिलकर एक सलाहकार समिति का गठन करेंगे जो उन्हें युद्ध संचालन से सम्बन्धित विषयों पर परामर्श देगी।

वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की उपर्युक्त घोषणा से भारतीय जनता के किसी भी वर्ग को सन्तोष नहीं हुआ। सभी दलोंने अपने-अपने कारणों से इस घोषणा को निराशाजनक बताया। कांग्रेस ने इस घोषणा को विशेष रूप से असन्तोषजनक बताया। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा अपनी पुरानी नीति 'फूट डालो और शासन करो' को दुहराया है।

कांग्रेस पहले ही प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों को आदेश दे चुकी थी कि वह ब्रिटिश सरकार की युद्ध तैयारियों में किसी प्रकार की कोई सहायता न दे।"

22 अक्टूबर, 1939 ई. को कांग्रेस कार्य-समिति ने एक बैठक कर प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों को त्याग-पत्र देने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप 8 प्रान्तों में कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डलों से त्याग-पत्र दे दिए। सन् 1935 ई. के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों का शासन गवर्नरों ने संभाल लिया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्र से जहाँ देशवासियों को दुःख हुआ वहीं मि. जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने प्रसन्नता प्रदर्शित की और 22 सितम्बर, 1935 ई. को घी के दिए जलाकर 'मुक्ति दिवस' मनाया। मुस्लिम लीग के इस कार्य से हिन्दू-मुस्लिम कटुता बढ़ी।

कांग्रेस द्वारा सशर्त का प्रस्ताव—सन् 1940 ई. के मध्य तक विश्व-युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी थी। जर्मन सेनाओं के सामने हॉलैण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, नार्वे और फ्रांस ने घुटने टेक दिए थे। जापान की सेना भी जर्मनी के सहयोग के लिए बढ़ रही थी। ब्रिटिश स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया था। लन्दन में बर्किंघम पैलेस पर बम वर्षा होने लगी थी। ब्रिटेन में संकट की इस घड़ी में चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमन्त्री बनाया गया था। नाजुक अवसर को दृष्टिगत रखते हुए गाँधी जी ने कहा कि, "हम ब्रिटेन के विनाश द्वारा अपनी स्वतन्त्रता नहीं चाहते हैं।" पण्डित नेहरू ने कहा कि, "ब्रिटेन की कठिनाई भारत का सौभाग्य नहीं है।" 7 जुलाई, 1940 ई. को कांग्रेस कार्यसमिति ने पूना प्रस्ताव पारित कर दो शर्तों पर सहयोग देना निश्चित किया—

(1) युद्ध की समाप्ति पर भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाए।

(2) तात्कालिक कदम के रूप में भारतीय शासन के केन्द्रीय क्षेत्र में एक अस्थायी सरकार की नियुक्ति की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लें। यह मिली-जुली अस्थायी सरकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो।

जुलाई, 1940 ई. के प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस ने ब्रिटेन के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और लॉर्ड लिनलिथगो अपने हठ पर अड़े रहे।

ब्रिटेन के नए प्रधानमन्त्री चर्चिल ने कहा कि अटलाण्टिक चार्टर में वर्णित आत्म-निर्णय का अधिकार केवल यूरोप के देशों पर ही लागू होता है, भारत और म्यांमार पर लागू नहीं होता। चर्चिल ने यह भी कहा कि, "मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमन्त्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दूँ।" अतः प्रधानमन्त्री चर्चिल का मकसद भारत को स्वतन्त्रता नहीं देने से था।

अगस्त प्रस्ताव(8 अगस्त, 1940 ई.)—युद्ध की गम्भीरता को देखते हुए वायसराय लिनलिथगो ने भारत की राजनीतिक गुथी को सुलझाने के लिए 8 अगस्त, 1940 ई. को निम्नांकित प्रस्ताव रखे—

(1) ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।

(2) गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा।

(3) युद्ध परामर्श समिति गठित की जाएगी। इस प्रस्ताव द्वारा शासन ने कांग्रेस से सहयोग करने के लिए आग्रह किया लेकिन यह प्रस्ताव अत्यन्त असन्तोषजनक था। अतः कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

कांग्रेस ने अगस्त, 1940 ई. के प्रस्तावों पर 17 अक्टूबर, 1940 ई. को गाँधी जी ने^(व्यक्तिगत सत्याग्रह) प्रारम्भ कर दिया। यह इसलिए कि वे ब्रिटिश सरकार के समुख उत्पन्न संकट की स्थिति से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते थे। यह केवल प्रतीकात्मक विरोध था और इसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था। इस सत्याग्रह में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था। गाँधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। 17 अक्टूबर, 1940 ई. को उन्होंने सत्याग्रह प्रारम्भ करते हुए जनता से अपील की कि वह युद्ध में सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता न दे। इसलिए सरकार द्वारा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हो गईं। मई, 1941 ई. तक लगभग 25 हजार सत्याग्रही जेल में पहुँच गए।

जुलाई, 1941 ई. में वायसराय ने अपनी परिषद् का विस्तार करते हुए उसमें 5 भारतीय सदस्य और शामिल किए। इस प्रकार कुल 13 में से 8 भारतीय सदस्य रह गए। वायसराय ने युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन किया, परन्तु यह सब दिखावा मात्र था। अभी भी सभी शक्तियाँ वायसराय के पास थीं।

1. "I have not become his Majesty's First Minister to liquidate the British Empire." —Mr. Charchil

7 सितम्बर, 1941 ई. को अमेरिकी जहाज पर्लहार्बर पर आक्रमण करने के साथ ही जापान भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने शीघ्र ही सिंगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया आदि को जीत लिया। जापान की सेनाएँ म्यांमार व भारत की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारतीयों के साथ सहानुभूति का रखेया अपनाएँ और सत्याग्रहियों को रिहा किया जाए। तिसम्बर, 1941 ई. में नेहरू जी, मौलाना आजाद आदि को रिहा कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही थी। जर्मनी रूस की ओर बढ़ने जा रहा था। जापान से भारत की सुरक्षा को भी खतरा था। इन परिस्थितियों में दिसम्बर के अन्त में वारडोली में कांग्रेस कार्यसमिति की जो बैठक आयोजित हुई उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया और सम्भावित संकट से देश की रक्षा के लिए उचित संगठन स्थापित करने का निश्चय किया गया।

क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव (22 मार्च, 1942 ई.)

द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान की निरन्तर विजय ने और मित्र राष्ट्रों की बिगड़ती स्थिति के कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च, 1942 ई. में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स पण्डित नेहरू के व्यक्तिगत मित्र थे। भारतीयों को उनसे बहुत आशाएँ थीं। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अनेक कारणों से क्रिप्स को भारत भेजा था, जैसे—(1) गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृष्टिकोण, (2) ब्रिटिश जनमत का दबाव, (3) ब्रिटेन पर मित्र-राष्ट्रों का दबाव, (4) जापान का खतरा, (5) आजाद हिन्द फौज का खतरा आदि।

मि. स्टैफर्ड क्रिप्स (22 मार्च, 1942 ई.) को भारत आए। उन्होंने अपने 20 दिन के भारत प्रवास में कांग्रेस मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा आदि वर्गों के प्रतिनिधियों से भेंट की। तत्पश्चात् 29 मार्च, 1942 ई. को अपना प्रस्ताव प्रकाशित दिया। इस प्रस्ताव को ही 'क्रिप्स योजना' कहा जाता है। वैसे तो क्रिप्स प्रस्तावों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव, (2) तुरन्त लागू होने वाले या अन्तरित काल में लागू होने वाले प्रस्ताव। लेकिन सुविधा की दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—

(1) ब्रिटिश सरकार ने भारत में शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है।

(2) युद्ध की समाप्ति पर प्रान्तीय विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होंगे एवं भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें दोनों के प्रतिनिधि होंगे।

(3) क्रिप्स प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि भारत चाहेगा तो वह राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकेगा।

(4) युद्ध के इस नाजुक समय में भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा।

(5) उक्त सभी कार्य भारतीयों के सहयोग से ही हो सकते हैं।

यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त, 1940 ई. के प्रस्ताव से बहुत अच्छे थे फिर भी भारतीयों को क्रिप्स प्रस्ताव सन्तुष्ट नहीं कर सके। गाँधी ने इस पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्रिप्स ने कहा है कि यदि आपके पास यही प्रस्ताव थे तो आपने आने का कष्ट क्यों किया? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है तो मैं आपको यही परामर्श दूँगा कि आप अगले ही हवाई जहाज से इंग्लैण्ड लौट जाएँ। उन्होंने कहा कि क्रिप्स प्रस्तावों का पूर्ण अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्स प्रस्ताव नितान्त असन्तोषजनक हैं। कांग्रेस द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की जा रही थी, लेकिन प्रस्तावों में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात अनिश्चित तिथि सहित कही गयी थी।

इसी कारण गाँधी जी के द्वारा इन प्रस्तावों को "दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चैक कहा गया था!" पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, "क्रिप्स योजना मान लेने से भारत के अनगिनत पाकिस्तानों में विभाजित होने की सम्भावना थी।"

इस प्रकार कांग्रेस कार्य-समिति एवं मुस्लिम लीग आदि ने अनेक कारणों से क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। यद्यपि इस अस्वीकृति के कारण भिन्न-भिन्न थे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में भारत विभाजन के बीच, भारत पर ब्रिटेन द्वारा नियन्त्रण बनाए रखने की इच्छा तथा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर तीव्र आलोचना की तथा उदारवादियों ने भी क्रिप्स प्रस्तावों को आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का उपहास कहकर अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार क्रिप्स प्रस्तावों का भारत के सभी क्षेत्रों में विरोध किया गया। फलस्वरूप 11 अप्रैल, 1942 ई. को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन (The Quit India Movement)

क्रिप्स मिशन की असफलता और देश में व्याप्त निराशा से चिन्तित होकर गाँधी जी ने अनुभव किया कि भारत को निराशा से निकलने और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक और अन्तिम युद्ध लड़ना होगा। 'हरिजन' नामक पत्रिका के एक लेख में गाँधी जी ने लिखा कि, "भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ और यदि तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो परन्तु चले जाओ।" उन्होंने एक-दूसरे लेख में लिखा कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हों भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैण्ड के भारत छोड़ देने में ही है, क्योंकि उस समय जापान तेजी से विजय प्राप्त करता हुआ म्यांमार और भारत की ओर बढ़ रहा था। वह कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। वह इसलिए कि भारत पर ब्रिटिश शासन था और उसकी शाश्रुता भारत से नहीं इंग्लैण्ड से थी। यदि ऐसे समय में कांग्रेस हाथ पर हाथ रखे रह जाती तो देश में कायरता का वातावरण बन जाता। अतः 5 जुलाई, 1942 ई. को गाँधी जी ने उद्घोष किया—“अंग्रेजों भारत छोड़ो।” उन्होंने 'हरिजन' नामक पत्रिका में लिखा कि अब समय आ गया है कि जब अंग्रेजों भारत छोड़ो वह भी भारतीयों के लिए, जापानियों के लिए नहीं। गाँधी जी का यह लेख भारत सकता था। वह इसलिए कि भारत भर में गूँज उठा।

भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण (Causes of Quit India Movement)

(1) क्रिप्स मिशन की असफलता—क्रिप्स वार्ता असफल होने के कारण एवं क्रिप्स प्रस्तावों को वापस लिए जाने और सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंग्लैण्ड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा के वातावरण को जन्म मिला। क्रिप्स के इस कथन से कि, “स्वीकार करो अथवा छोड़ दो” से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की इच्छुक नहीं है, वह केवल दिखावा कर रही है। यही नहीं, मिशन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाला गया। अतः क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगियों—अमेरिका, चीन को सन्तुष्ट करना था न कि भारत को। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिए एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक नया आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

(2) म्यांमार में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार—म्यांमार पर जापान की विजय के बाद ही म्यांमार से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे उन्होंने यहाँ आकर बताया कि भारतीयों और यूरोपियनों के बीच भेदभाव पैदा किया गया है। भारतीयों को आने के लिए पृथक् और कष्टदायक रास्ते दिए गए थे और उनके लिए अलग मार्ग दिए गए थे। इसके साथ-साथ भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे घटिया जाति से सम्बंधित हों। इस घटना ने भी गाँधी जी को आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया।

(3) शोचनीय आर्थिक स्थिति—इस समय वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। इससे जनता के आर्थिक कष्टों में भी वृद्धि होने से उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष की भावना बहुत बढ़ गयी थी। युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के मूल्य बेतहाशा बढ़ते जाने के कारण लोगों का कागज के नोटों के प्रति विश्वास समाप्त होता जा रहा था। देश में चारों ओर असन्तोष भड़क रहा था परिणामस्वरूप गाँधी को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए विवश होना पड़ा।

(4) पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य—इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहाँ सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार उन सैकड़ों देशी नावों को नष्ट कर दिया गया जिनसे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से लोगों के दुःख बहुत बढ़ गए थे। इन कष्टों से दुःखी होकर गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना अन्तिम अस्त्र भारत छोड़ो आन्दोलन के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया।

(5) जापान के आक्रमण का भय—द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान की सेनाएँ निरन्तर सिंगापुर, मलाया और म्यांमार में अंग्रेजों को पराजित करके भारत की ओर बढ़ रही थीं। इसलिए प्रतिक्षण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। महात्मा गाँधी और अन्य भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही वे यह भी सोचते थे कि अंग्रेज शासन के रूप में भारत छोड़कर चले जाएँ, तो शायद जापान का भारत पर आक्रमण न हो। इस कारण गाँधी जी का कहना था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो वरन् भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। हरिजन में अपने एक लेख में गाँधी जी ने लिखा था कि, "भारत के लिए चाहे उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हों, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा, समय रहते इंग्लैण्ड के भारत छोड़ देने में ही है।"

1. Dr. Pattabhi, *The History of Congress*, Vol. II, p. 360.

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से कांग्रेस ने गाँधी जी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

आन्दोलन का विचार और वर्धा प्रस्ताव—जुलाई, 1942-27 अप्रैल, 1942 ई. को कांग्रेस कार्य-समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुई। इस बैठक में निश्चित किया गया कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े। गाँधी जी ने कहा कि भारत की समस्या का एकमात्र हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। [14 जुलाई, 1942] ई. में कांग्रेस कार्य-समिति की एक बैठक विधि में हुई जिसमें इलाहाबाद की बैठक में रखे गए विचारों का समर्थन किया गया। गाँधी जी के विचारों को महत्व देते हुए यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि, "अंग्रेजों भारत छोड़ो।" इस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रस्ताव का नाम 'भारत छोड़ो आन्दोलन' रखा गया।

14 जुलाई, 1942 ई. को 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पारित होने के पश्चात् गाँधी जी ने पत्रकारों को बतलाया कि अब हम खुला विद्रोह करेंगे। जनता में जागृति और मनोबल ऊँचा करने के प्रयास प्रारम्भ हो गए। गाँधी जी ने अपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। अगस्त, 1942 ई. को इलाहाबाद में तिलक दिवम मनाया गया। इस अवसर पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि, "हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं।" इसी समय बाबू राजन्द्र प्रसाद ने कहा कि, "हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।" सरकार सरदार पटेल ने बम्बई में कहा कि, "इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का किन्तु बड़ा भयानक होगा।" सरकार कांग्रेस की इन गतिविधियों से अनिभृत नहीं थी।

'भारत छोड़ो प्रस्ताव' की अन्तिम स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक 7 अगस्त, 1942 ई. को बम्बई में प्रारम्भ हुई। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की। इस अधिवेशन पर भारत ही नहीं, समस्त विश्व की आँखें लगी हुई थीं। इस समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि, "यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई, 1942 ई. के प्रस्ताव का समर्थन करती है। उसका यह विश्वास है कि बाद कि घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अन्त, भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के उद्देश्यों की सफलता के लिए अति आवश्यक है। इसी पर युद्ध का भविष्य एवं स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की सफलता निर्भर है।" इस अवसर पर गाँधी जी ने 70 मिनट का एक भाषण दिया जो ऐतिहासिक था। इस सम्बन्ध में डॉ. पट्टूभिसीतारमैय्या ने कहा कि, "महात्मा गाँधी एक अवतार एवं पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनके भीतर एक आग भझक रही थी।" कांग्रेस के नेता यह भली-भाँति जानते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएँगे। अतः जन-आन्दोलन करना ही पड़ेगा। परन्तु आन्दोलन की कोई तिथि घोषित नहीं की गई थी। गाँधी जी आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व एक बार वायसराय से मिलना चाहते थे परन्तु वायसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया। गाँधी जी ने करो या मरो का नारा भारतीय जनता को दिया। इस नारे का तात्पर्य यह था कि भारतवासियों द्वारा, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए किन्तु यह आन्दोलन होना चाहिए।

भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारम्भ अथवा अगस्त क्रान्ति एवं शासन द्वारा दमन—8 अगस्त, 1942 ई. को प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' पास किया गया। इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद यह निश्चित था कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन-आन्दोलन होने वाला है। आन्दोलन का स्वरूप, रूपरेखा, कार्यक्रम आदि तैयार होना था। परन्तु गाँधी जी को अभी भी ऐसा लगता था कि सम्भवतः कोई समझौता हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वायसराय से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी किन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया। 9 अगस्त, 1942 ई. की प्रातः: महात्मा गाँधी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगाखाँ महल में बन्दी बनाया गया। अन्य नेताओं को अहमद नगर के किले में बन्दी बनाया गया। भारत के सभी प्रान्तों में गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हो गयीं। कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी गयी। इससे जनता अवाक्-सी रह गयी। जनता का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रह गया था। जनता के इस विरोध ने व्यापक जन-विद्रोह का रूप धारण कर लिया। जनता के सामने करो या मरो का नारा था इसलिए सम्पूर्ण देश आन्दोलनमय हो गया। जनता ने सरकार की नीति के विरोध में जुलूस निकाले, सार्वजनिक सभाएँ कीं और हड्डालों भी की गयीं। अनगिनत स्त्री-पुरुष आन्दोलन में कूद पड़े। सरकार ने आन्दोलन को कुचल देने के लिए अत्याचार प्रारम्भ किए।

निहत्थी जनता पर लाठियाँ चलायी गयीं और गोलियाँ बरसायी गयीं, परिणाम यह निकला कि जनता भी हिंसा पर उत्तर आयी। आगजनी की घटनाएँ हुईं। हत्या व तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गयी। लागभग 250 रेलवे स्टेशन जला दिए गए तथा 980 पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण हुए यातायात के साधन, डाकघर, टेलीफोन आदि नष्ट कर दिए गए। लाठियों व गोलियों का जवाब पथरों व ईंटों से दिया गया। बम्बई, उत्तर प्रान्त व मध्य प्रान्त में जनता द्वारा बम भी फेंके गए। सरकार ने आन्दोलन दबाने के लिए नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए फिर भी यह आन्दोलन जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, आसफ अली जैसे समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में तीन सप्ताह तक खुले रूप में निरन्तर चलता रहा। सन् 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रिटिश शासन का शीघ्र ही अन्त हो जाएगा लेकिन शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप यह आन्दोलन भूमिगत हो गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन की असफलता के कारण

(Causes of Failure of the Quit India Movement)

महात्मा गाँधी द्वारा अब तक किए गए आन्दोलनों में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' सबसे भीषण आन्दोलन था। यह भारतीय स्वाधीनता के लिए किया गया महानतम प्रयास था। लेकिन आन्दोलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसकी असफलता के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है—

(1) आन्दोलन की योजना एवं संगठन—'भारत छोड़ो आन्दोलन' की असफलता का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि गाँधी जी द्वारा स्वयं भारत छोड़ो आन्दोलन की रूपरेखा और कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था जबकि कांग्रेसी नेताओं को आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनी रणनीति तथा कार्यक्रम सुनियोजित कर लेने चाहिए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि गाँधी जी को अन्तिम समय तक यह आशा थी कि वायसराय या सरकार से कोई समझौता हो जाएगा और हमें आन्दोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह गाँधी जी की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसी स्थिति में जब शासन द्वारा दमन कार्य की पहल की गई तो आन्दोलनकारी हतप्रभ रह गए और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आन्दोलन नेतृत्वहीन हो गया।

(2) सरकारी कर्मचारियों और उच्च वर्गों की सरकार के प्रति वफादारी—'भारत छोड़ो आन्दोलन' की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि आन्दोलन की अवधि में सरकारी कर्मचारियों, देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस और उच्च सरकारी अधिकारी आदि में सरकार के प्रति वफादारी की भावना बनी रही जिससे सरकारी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा।

(3) भारतीय राजनीतिक दलों और वर्गों का आन्दोलन विरोधी रवैया—भारतीय साम्प्रवादी दल और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों ने आन्दोलन को सहयोग देने के स्थान पर आन्दोलन का खुलकर विरोध किया। अकाली दल और हिन्दू महासभा तथा समाज के कुछ उच्च और दलित वर्गों का आन्दोलन के प्रति असहयोग का रवैया ही रहा। इस प्रकार उक्त सहयोग के अभाव के कारण भी 'भारत छोड़ो आन्दोलन' असफल रहा।

(4) आन्दोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति और कठोरता—वस्तुतः 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की तात्कालिक असफलता अवश्यम्भावी थी क्योंकि आन्दोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति कई गुना अधिक थी। आन्दोलनकारियों की न तो कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान सन्देश तक भेजने के साधन थे। उनकी आर्थिक शक्ति भी ब्रिटिश शासन की तुलना में बहुत ही कम थी।

(5) आन्दोलन की हिंसात्मकता—यद्यपि अपने प्रारम्भिक चरण में आन्दोलन पूर्णतया अहिंसात्मक ही रहा परन्तु कुछ समय के पश्चात् कुशल नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन में हिंसा आ गई। इस संविधान अवधि में देश के विभिन्न भागों में हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यविधियाँ हुईं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शान्तिप्रिय हिंसा की प्रवृत्ति 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की असफलता का एक कारण बन गई।

भारत छोड़ो आन्दोलन का महत्व या सफलताएँ

(Importance or Successes of the Quit India Movement)

यद्यपि भारत छोड़ो आन्दोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका लेकिन इस आन्दोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लाल्हे समय तक शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा। इस आन्दोलन के दूरगमी महत्वपूर्ण परिणाम निकले जो अग्रांकित हैं—

1. डॉ. पट्टाभीम सीतारमैय्या, कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ 531-533।

- (1) अगस्त आन्दोलन ने भारतीय जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता का दीप प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी।

(2) आन्दोलन ने देश की जनता में असाधारण जागृति उत्पन्न कर दी।

(3) आन्दोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के लिए उनमें साहस और शक्ति में वृद्धि हुई।

(4) आन्दोलन का क्षेत्र और प्रभाव देशव्यापी था। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि दमन व अत्याचार असन्तोष को नहीं रोक सकेंगे।

(5) भारत छोड़ो आन्दोलन ने विदेशों में भी भारत की स्वतन्त्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्वयं ब्रिटिश जनमत को भारतीयों ने अपने पक्ष में किया।

(6) इस आन्दोलन से उत्पन्न चेतना के परिणामस्वरूप सन् 1946 ई. में जल सेना का विद्रोह हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की।

इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि भारतीय स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि भारत छोड़ो आन्दोलन ने ही तैयार की जिसके फलस्वरूप 5 वर्ष बाद ही भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। डॉ. सुभाष कश्यप के शब्दों में, "सन् 1942 ई. का भारत छोड़ो आन्दोलन सचमुच सन् 1857 ई. की असफल क्रान्ति के बाद भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास था।"¹ पण्डित नेहरू ने इस आन्दोलन एवं उसके कार्यों के लिए गर्व व्यक्त किया था।² इस प्रकार 'भारत छोड़ो आन्दोलन' ने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की।

प्रश्न (Questions)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने सन् 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन को जन्म दिया। इसने आन्दोलन में क्या योगदान किया ?
(Describe those circumstances were responsible for the birth of Quit India Movement in 1942. What was its contribution in movement ?)
 2. अथवा भारत छोड़ो आन्दोलन से आपका क्या तात्पर्य है ? इसके प्रमुख कारण और सम्पन्नता पर टिप्पणी कीजिए।
(What is meant by Quit India Movement ? Write a note on its main causes and completion.)
 3. भारत छोड़ो आन्दोलन पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
(Write a brief essay on Quit Indian Movement.)
 3. भारत छोड़ो आन्दोलन के कारण, उसकी असफलता एवं महत्व को समझाइए।
(Discuss the causes, its unsuccess and importance of Quit India Movement.)

बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Type Objective Questions)